संख्या-30/2023/398/12-5-2023-सा0-01/2019

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ::दिनांक: 23 मार्च, 2023**

विषयः प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रदेश में समस्त पात्र कृषकों से संतृप्तीकरण के उद्देश्य से वृहद ग्राम पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश में पी0एम0 किसान योजना दिसम्बर 2018 से संचालित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 2.60 करोड़ कृषकों को कम से कम एक बार लाभ दिया गया है। योजना के अंतर्गत कृषकों के भूलेख का सत्यापन कर डाटाबेस में अपलोड करने की कार्यवाही 12वीं किस्त निर्गत करने से पूर्व की गई है। उक्त कार्यवाही से यद्यपि अधिकांश पात्र कृषकों का भूलेख अद्यावधिक कर दिया गया है, परंतु फिर भी कतिपय कृषक भूलेख सत्यापन से आच्छादित नहीं हो पाए हैं।

2. केन्द्र सरकार के कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 13वीं किस्त निर्गत करने से पूर्व सभी पात्र कृषकों के बैंक खाते को आधार से लिंक किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है तथा आगामी किस्तें आधार संबंधित गेटवे पेमेंट से ही किया जाना है। इस हेतु भी कार्यवाही जनपद स्तर पर सम्पन्न कराया जा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

3. यह संभव है कि प्रदेश में कतिपय कृषक रह गए हैं जो इस योजना के लाभ हेतु पात्र हैं, परंतु अभी तक लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गए हैं। लाभ से वंचित होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

(i) कृषक द्वारा पात्र होते हुए भी पी0एम0 किसान पोर्टल पर अभी तक ओपेन सोर्स से आवेदन नहीं किया गया हो।

(ii) कृषक द्वारा ओपेन सोर्स से आवेदन कर दिया गया हो, परंतु उक्त को स्वीकृत न किया गया हो एवं आवेदन विभिन्न कारणों से लंबित चल रहा हो।

(iii) आवेदन पूर्व में स्वीकृत हो गया हो, परंतु भूलेख के अद्यावधिक न हो पाने के कारण आगामी किस्तें प्राप्त न हो रही हो।

(iv) पूर्व से स्वीकृत कृषकों का भूलेख का सत्यापन होने के पश्चात भी आधार का लिंक बैंक खाते से नहीं हो पाया हो।

4. इन सभी श्रेणी के पात्र कृषकों को लाभ दिलाना शासन की प्राथमिकता है। अतः सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 10.05.2023 से दिनांक 31.05.2023 तक एक व्यापक "पी0एम0 किसान लाभार्थी संतृप्तीकरण अभियान" पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी संबंधित विभागीय कर्मचारी की उपस्थिति में ग्राम पंचायत की बैठक का शिविर आयोजित किये जायेंगे। शिविर में ऐसे पात्र कृषक, जो विभिन्न कारणों से लाभ नहीं मिल पा रहा है, का डाटा व अभिलेख पूर्ण कराते हुए समस्त ग्राम पंचायतों को इस योजना से संतृप्त किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे 31-05-2023 के बाद भी संचालित किया जा सकता है। यह कार्य जिलाधिकारी के नेतृत्व में राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग सहित कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी के योगदान के साथ किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नोडल विभाग कृषि होगा।

5. इस अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी:

(i) दिनांक 15.04.2023 से पूर्व ही जिलाधिकारियों द्वारा (पी. एम. किसान से संतृप्तीकरण) ग्राम पंचायत की खुली बैठक/शिविर की समय सारणी निर्धारित होंगी। **क्षेत्रीय स्तर पर लेखपाल/अन्य कार्मिकों की उपस्थिति के दृष्टिकोण से उनके क्षेत्र से आच्छादित ग्राम पंचायतों में अलग अलग तिथि का निर्धाण करते हुये खुली बैठकों/शिविर का आयोजन निश्चित किया जायेगा।** शिविर/बैठक का मुख्य उद्देश्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Searcheasily on www.bharatiyashasnadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

पी0एम0 किसान से वंचित लाभार्थियों अथवा ऐसे लाभार्थियों का चिन्हींकरण जिनको किन्हीं कारणों से आवेदन के पश्चात लाभ नहीं मिल रहा है तथा उनके अभिलेख प्राप्त कर समस्याओं का निराकरण करना होगा। इस प्रकार ग्राम पंचायतवार बैठक आयोजन की कार्ययोजना 15-04-2023 तक तैयार कर मुख्यालय(निदेशालय) को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार पहले से ही कर दिया जाएगा, जिससे लाभ से वंचित समस्त लाभार्थी बैठक की स्थल पर पहुंच कर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सके।

(iii) उपरोक्त बैठक सार्वजनिक स्थल पर आयोजित किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप पंचायत घर इत्यादि। यह बैठक सोमवार से शुक्रवार के मध्य (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) प्रत्येक दिन पृथक-पृथक ग्राम पंचायत में आयोजित होगी। समय सारणी इस प्रकार निर्धारित हो कि तीन सप्ताह में सभी ग्राम पंचायत आच्छादित हो जायें।

(iv) बैठक में ग्राम प्रधान सहित संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी/ पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल व स्थानीय तकनीकी सहायक अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। ग्राम पंचायतवार समय सारणी इस प्रकार निर्धारित हो कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में यह चारों अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित हो सकें।

(v) निर्धारित तिथि पर **कृषि एवं अन्य विभागों के** एक वर्ग-ख या इससे वरिष्ठ अधिकारी ग्राम पंचायत का भ्रमण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि संतृप्तीकरण हेतु अपेक्षित कार्यवाही सक्रियता से सम्पन्न की जा रही है।

(vi) निर्धारित तिथि पर पोस्टल विभाग से समन्वय कर के स्थलीय पोस्ट आफिस के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, जिससे कि वह आवश्यकतानुसार लाभार्थी का रू. 100/- से पोस्ट आफिस में खाता खोलते हुए उसका आधार से मौके पर ही लिंक हो सके। यह प्रयास उन कृषकों के लिए होगा जिनका खाता आधार से लिंक नहीं हो पाया है।

(vii) ऐसे लाभार्थी जिनका भूलेख का सत्यापन नहीं हुआ है, को भी मौके पर ही लेखपाल भूलेख सत्यापन करते हुए विवरण उपलब्ध करा देंगे, जिससे ऑनलाइन माध्यम से तहसील लाग-इन से संचालित कर अपलोड किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(viii) **अगर किसी लाभार्थी द्वारा आनलाइन आवेदन किया गया है और अभी तक सत्यापन लम्बित है, तो उससे भी मौके पर लेखपाल द्वारा उसका कृषक होने का सत्यापन करते हुए तहसील लाग-इन से स्वीकृत कराया जाएगा। इसी प्रकार तहसील से सत्यापन के उपरान्त कृषि विभाग के तकनीकी सहायकों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर किसानों के हस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा एवं इसे उप कृषि निदेशक के लागिन से स्वीकृत किया जायेगा।**

(ix) अपात्र कृषकों को चिन्हित कर के उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

(x) ऐसे पात्र कृषक जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनका मौके पर आनलाइन माध्यम से मोबाइल एप या लैपटाप के माध्यम से आवेदन कराया जाएगा। इस हेतु कामन सर्विस सेन्टर की सेवायें ली जाएंगी।

(xi) जिलाधिकारी यह भी व्यवस्था करेंगे कि कामन सर्विस सेन्टर की एक मोबाइल इकाई ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो जिससे अपलोड व पंजीकरण की कार्यवाही मौके पर ही सम्पन्न हो जाए और कृषकों को और किसी कार्यालय में न जाना पड़े।

(xii) यह अभियान प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक चलेगा, जिससे समस्त पात्र कृषकों की समस्याओं का निराकरण कर दिया जाए।

(xiii) वह ग्राम पंचायत की बैठकों से पूर्व या अप्रैल में ग्राम प्रधान अपने नेतृत्व में ग्राम स्तरीय कर्मियों के साथ घर-घर सर्वेक्षण कर के ऐसे कृषकों की सूची तैयार कर ली जायेगी जो विभिन्न कारणों से इस लाभ से वंचित हैं। ऐसे कृषकों को पहले से बैठक की जानकारी दे दी जाएगी कि वह निर्धारित शिविर की तिथि पर अपने अभिलेख जैसे आधार कार्ड, खतौनी एवं **आधार सीडेड बैंक एकाउंट की पासबुक** इत्यादि की प्रति लेकर कैम्प स्थल पर उपस्थित हो जाएं।

(xiv) शिविर में आने वाले विभिन्न व्यय को पी0एम0किसान के प्रशासनिक व्यय से वहन किया जायेगा। प्रशासनिक व्यय उपलब्धता के आधार पर लाभार्थी विवरण के सफलतापूर्वक भेजने पर प्रोत्साहन दिया जायेगा, जिसके निर्देश पृथक से निर्गत होंगे।

6. ग्राम पंचायत स्तरीय शिविर में पी0एम0किसान से वंचित कृषकों से प्राप्त सूचनाओं/आवेदनों को निम्न प्रकार से सत्यापित करते हुए अपलोड किया जायेगा:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
Search easily on www.bhartiyarail.gov.in http://shasanadesh.org

6.1 **ओपेन सोर्स के नवीन लाभार्थी:-**

(i) ऐसे लाभार्थियों का आवेदन शिविर पर उपलब्ध कामन सर्विस सेंटर अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकेगा। आधार संख्या स्वत: ही सत्यापित हो जाएंगे एवं भूलेखों की जानकारी कृषकों को अपलोड करनी होगी।

(ii) आवेदन करने के तत्काल पश्चात् ही उपरोक्त आवेदन विवरण तहसील लागिन पर प्रदर्शित होने लगेगा। पूरे सप्ताह तहसील में आयोजित शिविरों के ओपेन सोर्स से प्राप्त नवीन आवेदन का सत्यापन राजस्व कर्मी इसी सप्ताह के शनिवार को तहसील पर जाकर सुनिश्चित करा लेंगे।

(iii) शिविर के दिन ही संबंधित तकनीकी सहायक नये लाभार्थी (जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है) का घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षर कर प्राप्त कर लेंगे।

(iv) चूंकि नये लाभार्थी अधिकांश वे होंगे जो वरासत के आधार पर पात्र होते हुए लाभ पाने के अधिकारी होते हैं। अत: ये विवरण भी प्राप्त कर लिया जाएगा कि जिन कृषकों से उनको वरासत में भूमि प्राप्त हुई है, क्या वे भी पी.एम. किसान के लाभर्थी थे। अगर ऐसा है तो उपरोक्त मृतक कृषक का आधार तथा पी. एम. किसान आई.डी. भी प्राप्त कर लिया जाएगा तथा उक्त लाभार्थी की स्टाप पमेंट कर दिया जाएगा।

(v) तहसील लागिन से शनिवार को सत्यापन अपलोड होने के पश्चात अगले सप्ताह संबंधित उप कृषि निदेशक घोषण पत्र को तकनीकी सहायक से प्राप्त कर रक्षित करते हुए आवेदन को मुख्यालय अग्रसारित करेंगे। अब यह आवेदन SNO लागिन पर प्रदर्शित होगा। इस प्रकार SNO द्वारा तहसील लागिन पर अपलोड करने के पश्चात 02 सप्ताह के अंदर ही अनिवार्य रूप से केन्द्र सरकार को अग्रसारित कर दिया जाएगा। इस कार्य का उत्तरदायित्व मुख्यालय पर पी. एम. किसान के प्रभारी तथा उनकी पर टीम होगा। इस हेतु पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की तैनाती मुख्यालय पर की जाएगी।

6.2 **ओपन सोर्स के पूर्व से लंबित आवेदन:-**

(i) संबंधित ग्राम के राजस्व कर्मी से अपेक्षा होगी कि वह शिविर की तिथि से पूर्व ही ऐसे समस्त आवेदकों के कृषि भूमि का सत्यापन करते हुए उसे पात्र अथवा अपात्र वर्गीकृत कर दिया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ii) इस श्रेणी के लंबित प्रकरणों में कृषकों से घोषणा पत्र शिविर के समय ही संबंधित तकनीकी सहायक द्वारा ले लिया जाएगा तथा उसे अगले दिवस उप कृषि निदेशक के कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(iii) शिविर की तिथि के 01 सप्ताह के अंदर ही उप कृषि निदेशक द्वारा पात्र/भूमिधर पाये गये कृषकों के घोषणापत्र को रक्षित करते हुए आवेदन को SNO लागिन पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा तथा उसके अगले सप्ताह SNO लागिन से उसे केन्द्र सरकार को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

6.3 **पूर्व स्वीकृत प्रकरण जिनके भूअभिलेख सत्यापन लंबित हैं:-**

(i) ऐसे लाभार्थी का भूलेख विवरण (समस्त खाता संख्या व खतौनी संख्या) संबंधित राजस्व कर्मी द्वारा लिया जाएगा तथा संलग्न-1 के प्रारूप पर तैयार किया जाएगा।

(ii) पूरे सप्ताह के शिविर में प्राप्त लंबित आवेदकों का विवरण उसी सप्ताह के शनिवार के दिन तहसील से भूअभिलेख विवरण सही LGD कोड सहित XML फाइल पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। XML फाइल अपलोड करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खतौनी संख्या व खाता संख्या सही प्रकार से अपलोड हों एवं खाता संख्या में बटा तथा मिनजुमला नंबर का भी उल्लेख हो तथा वह भी सही प्रकार से दर्ज हो। इस फाइल की हार्ड कापी तहसील पर रक्षित की जाएगी।

6.4 **स्वीकृत प्रकरण जिनमें खाता व आधार लिंक नहीं है:-**ऐसे लाभार्थियों का शिविर में उपस्थित पोस्ट आफिस के प्रतिनिधि द्वारा 100 रुपये प्राप्त करके एक नया खाता खोला जाएगा तथा मौके पर ही आधार से लिंक कर दिया जाएगा।
चूंकि आधार लिंक कुछ समय बाद पी. एम. किसान पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगा। अत: ऐसे लाभार्थियों को उसके पश्चात् किस्तें स्वत: ही प्राप्त होने हेतु कार्यवाही आरंभ हो जाएगी।

7. उपरोक्तानुसार एक रणनीति के तहत समयबद्ध कार्यवाही करने से पी0एम0 किसान योजना का संतृप्तीकरण सफलतापूर्वक हो सकेगा। इस कार्ययोजना की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी, तकनीकी सहायक, पोस्ट आफिस के संबंधित कर्मचारी एवं कामन सर्विस सेन्टर की इकाई अनिवार्य रूप से पूरे दिन उपलब्ध रहें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bharatiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

8. दिनांक 10 मई, 2023 से प्रारम्भ होकर ग्राम पंचायत के लाभार्थी कृषकों के संतृप्तीकरण अभियान की तिथिवार प्रगति नियमित रूप से निर्धारित प्रारूप पर डैशबोर्ड पर नोडल विभाग कृषि को उपलब्ध कराई जायेगी।

डैशबोर्ड पर रिपोर्ट का प्रारूप संलग्नक पर हैं। ये डैशबोर्ड कृषि निदेशालय के आई.टी. सेल द्वारा 15 अप्रैल तक तैयार कर लिया जाएगा जिससे कि ग्राम पंचायत के शिविर की तिथियां एवं कार्मिकों का विवरण अंकित हो सके।

9. जिलाधिकारी सहित कृषि विभाग के सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि वह अपने स्तर पर ग्राम पंचायतवार समय सारणी निर्धारित कर ग्राम स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करा लें, जिससे कैम्प में समस्त कार्यवाही सम्पन्न हो सके।

कृपया तद्नुसार उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दुर्गाशंकर मिश्र

मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(i) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

(ii) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।